



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-28082020-221392
CG-DL-W-28082020-221392

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 19] नई दिल्ली, अगस्त 16—अगस्त 22, 2020, शनिवार/श्रावण 25—श्रावण 31, 1942
No. 19] NEW DELHI, AUGUST 16 — AUGUST 22, 2020, SATURDAY/SRAVANA 25—SRAVANA 31, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2020

आ. अ. 74.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अरुणाचल राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा प्रेस नोट सं. ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10.03.2019 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार मतगणना की तारीख 23.05.2019 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के तहत, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 48-लेकंग (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23.05.2019 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने की अंतिम तारीख 22.06.2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नमसाई जिला, अरुणाचल प्रदेश, द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अरुणाचल प्रदेश द्वारा दिनांक 26.07.2019 के पत्र सं.ईएन/ओपी(सीई)-30/2019/75 के तहत अग्रेषित दिनांक 26.07.2019 की रिपोर्ट के अनुसार, श्री तकम पलेंग, जो अरुणाचल प्रदेश के 48-लेकंग (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नमसाई जिला, अरुणाचल प्रदेश और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अरुणाचल प्रदेश की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अधीन निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल होने पर, श्री तकम पलेंग को दिनांक 01.10.2019 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 01.10.2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए, श्री तकम पलेंग को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री तकम पलेंग द्वारा दिनांक 13.11.2019 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, नमसाई जिला, अरुणाचल प्रदेश द्वारा दिनांक 27.11.2019 के अपने पत्र सं. एन/ईएलएन/जीई(ईईएम)-2/2018-19/4205 के द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नमसाई जिला, द्वारा दिनांक 13.03.2020 के अपने पत्र सं. एन/ईएलएन/जीई-02/2016-19 के तहत प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अरुणाचल प्रदेश द्वारा दिनांक 16.03.2020 को अपने पत्र सं. ईएन/ओपी(सीई)30/2019 को अग्रेषित की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री तकम पलेंग द्वारा लेखे का कोई संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अलावा, भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के बाद भी उन्होंने उक्त असफलता का न कोई कारण बताया और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री तकम पलेंग निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अंतर्गत यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा अरुणाचल प्रदेश राज्य के 48-लेकंग (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री तकम पलेंग, निवासी ग्राम-सिलाटू खाम्टी, डाकघर/पुलिस स्टेशन- महादेवपुर, जिला: नमसाई, अरुणाचल प्रदेश-792105 को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं. 76/ अरुणाचल-वि.स./2019/एनईएस-II]

आदेश से,

एन.टी. भूटिया, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA**ORDER**

New Delhi, the 7th August, 2020

O.N. 74 .—WHEREAS, the General Election to the Legislative Assembly 2019 in the state of Arunachal Pradesh was announced by Election Commission of India vide Press Note No ECI/PN/23/2019 dated 10.03.2019. As per the schedule, Date of Counting was 23.05.2019.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his/her account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 48-Lekang(ST) Assembly Constituency on 23.05.2019. As such the last date for lodging of account of election expenses was 22.06.2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 26.07.2019 submitted by the District Election Officer, Namsai District, Arunachal Pradesh and forwarded by Chief Electoral Officer, Arunachal Pradesh vide letter No.EN/OP(CE)-30/2019/75 dated 26.07.2019, Shri Takem Paleng, a contesting candidate from, 48-Lekang (ST) Assembly Constituency of Arunachal Pradesh has failed to lodge any account of her election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Namsai District, Arunachal Pradesh and the Chief Electoral Officer, Arunachal Pradesh, a Show Cause notice dated 01.10.2019 was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Shri Takem Paleng for non submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 01.10.2019, Shri Takem Paleng was directed to submit her representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge her accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same to the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Shri Takem Paleng on 13.11.2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate, has been submitted to the Commission by District Election Officer, Namsai District, Arunachal Pradesh vide his letter No.N/ELN/GE(EEM)-02/2018-19/4205 dated 27.11.2019 .

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Namsai District vide his letter No. N/ELN/GE-02/2016-19 dated 13.03.2020 and forwarded by Chief Electoral Officer, Arunachal Pradesh vide letter No. EN/OP(CE)30/2019 dated 16.03.2020 has stated that no satisfactory reply of account has been submitted by Shri Takem Paleng, Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Shri Takem Paleng has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall by order published in the official Gazette, declare his to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the order;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Takem Paleng a resident of Village Silatoo Khamti, PO/PS Mahadevpur, District: Namsai Arunachal Pradesh-792105 and the contesting candidate for the General Election to the Legislative Assembly 2019 in the state of Arunachal Pradesh from 48-Lekang(ST) Assembly Constituency of the state of Arunachal Pradesh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No.76/AR-LA/2019/NES-II]

By Order,

N.T. BHUTIA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2020

आ. अ. 75.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 79-सादाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./1/2017 दिनांक 4 जनवरी, 2017 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

यतः, 79-सादाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 12 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 79-सादाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री यतेन्द्र सिंह अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत श्री यतेन्द्र सिंह को दिनांक 18 अक्तूबर, 2018 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओं नोटिस नं. 76/उ.प्र.-वि.स./79/भा.नि.आ./नोटिस/टेरी./उ.अनु.-III-उ.प्र./2017 जारी किया गया था:-

(1) निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में बिल वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

(2) बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार एवं उपर्युक्त कारण बताओं नोटिस के द्वारा श्री यतेन्द्र सिंह को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री यतेन्द्र सिंह को दिनांक 19 नवम्बर, 2018 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस ने दिनांक 07 अगस्त, 2019 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री यतेन्द्र सिंह द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री यतेन्द्र सिंह को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं. 76/उ.प्र.-वि.स./79/भा.नि.आ./पत्र/टेरी./उ.अनु.-III-उ.प्र./2017, दिनांक 1 अक्तूबर, 2019 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस के माध्यम से उनकी पत्नी श्रीमती पायल दिनांक 18 मार्च, 2020 को प्राप्त हुआ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, से प्राप्त दिनांक 07 अगस्त, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री यतेन्द्र सिंह द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुए न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस/पत्र मिलने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री यतेन्द्र सिंह विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति –

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि श्री यतेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम व पोस्ट बर्दवारी मुरसान, हाथरस, उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 79-सादाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[सं. 76/उ.प्र.-वि.स./79/2017]

आदेश से,

अनुज जयपुरियार, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 18th August, 2020

O. N. 75.—WHEREAS, the General Election for 79-Sadabad Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/1/2017 dated 4th January, 2017; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 79-Sadabad Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10th April, 2017; and

WHEREAS, as per the report dated 12th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Hathras District, Uttar Pradesh, **Sh. Yatendra Singh**, a contesting candidate from 79-Sadabad Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge accounts of his election expenses, in the manner prescribed under the law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/79/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 18th October, 2018 was issued under sub rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Yatendra Singh**, for the following defects in accounts of his election expenses:-

- (i) Bill vouchers have not been presented in respect of items of election expenditure.
- (ii) Bank Statement has not been submitted; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and as required under sub rule (6) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Sh. Yatendra Singh** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Hathras within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Hathras, the said notice was served to **Sh. Yatendra Singh** on 19th November, 2018 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Hathras has submitted in his supplementary report, dated 7th August, 2019 that **Sh. Yatendra Singh**, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses duly signed, along with original vouchers etc. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, *vide* Commission's letter No. 76/UP-LA/79/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2017, dated 1st October, 2019, which was served to his wife Smt. Paayal on 18th March, 2020 through the District Election Officer, Hathras; and

WHEREAS, as per the report, dated 7th August, 2020 submitted by the District Election Officer to the Commission, **Sh. Yatendra Singh** has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from him. Further, no representation from the candidate has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after delivery of the above mentioned notice/letter; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Yatendra Singh** has failed to lodge his accounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.";

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Yatendra Singh**, resident of Village & Post Bardhavari Mursan, Hathras, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 79-Sadabad Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the State Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/UP-LA/79/2017]

By Order,

ANUJ JAIPURIAR, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2020

आ. अ. 76.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 78-हाथरस (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./1/2017 दिनांक 4 जनवरी, 2017 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

यतः, 78-हाथरस (अ०जा०) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 12 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 78-हाथरस (अ०जा०) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री विजेन्द्र सिंह** अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत **श्री विजेन्द्र सिंह** को दिनांक 18 अक्तूबर, 2018 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओं नोटिस नं. 76/उ.प्र.-वि.स./78/भा.नि.आ./नोटिस/टेरी./उ.अनु.-III-उ.प्र./2017 जारी किया गया था:-

(1) निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में बिल वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार एवं उपर्युक्त कारण बताओं नोटिस के द्वारा **श्री विजेन्द्र सिंह** को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस **श्री विजेन्द्र सिंह** को दिनांक 6 नवम्बर, 2018 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस ने दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि **श्री विजेन्द्र सिंह** द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी **श्री विजेन्द्र सिंह** को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं. 76/उ.प्र.-वि.स./78/भा.नि.आ./पत्र/टेरी./उ.अनु.-III-उ.प्र./2017, दिनांक 2 जुलाई, 2020 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस के माध्यम से उन्हें दिनांक 10 जुलाई, 2020 को प्राप्त हुआ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, से प्राप्त दिनांक 07 अगस्त, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री विजेन्द्र सिंह** द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुए न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस/पत्र मिलने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री विजेन्द्र सिंह** विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति –

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि श्री विजेन्द्र सिंह, निवासी नगला उम्मेद, पोस्ट रूहेरी, तहसील सासनी, जनपद हाथरस, उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 78-हाथरस (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[सं. 76/उ.प्र.-वि.स./78/2017]

आदेश से,

अनुज जयपुरियार, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 18th August, 2020

O.N. 76 .—WHEREAS, the General Election for 78-Hathras (SC) Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/1/2017 dated 4th January, 2017; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 78-Hathras (SC) Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10th April, 2017; and

WHEREAS, as per the report dated 12th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Hathras District, Uttar Pradesh, **Sh. Vijendra Singh**, a contesting candidate from 78-Hathras (SC) Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge accounts of his election expenses, in the manner prescribed under the law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/78/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 18th October, 2018 was issued under sub rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Vijendra Singh**, for the following defects in accounts of his election expenses:-

(iii) Bill vouchers have not been presented in respect of items of election expenditure; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and as required under sub rule (6) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Sh. Vijendra Singh** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Hathras within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Hathras, the said notice was served to **Sh. Vijendra Singh** on 6th November, 2018 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Hathras has submitted in his supplementary report, dated 18th December, 2019 that **Sh. Vijendra Singh**, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses duly signed, along with original vouchers etc. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, *vide* Commission's letter No. 76/UP-LA/78/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2017, dated 2nd July, 2020, which was served to him on 10th July, 2020 through the District Election Officer, Hathras; and

WHEREAS, as per the report, dated 7th August, 2020 submitted by the District Election Officer to the Commission, **Sh. Vijendra Singh** has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from him. Further, no representation from the candidate has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after delivery of the above mentioned notice/letter; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Vijendra Singh** has failed to lodge his accounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Vijendra Singh**, resident of Nagla Umed, Post Ruheri, Tehsil Sasni, District Hathras, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 78-Hathras (SC) Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the State Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/UP-LA/78/2017]

By Order,

ANUJ JAIPURIAR, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2020

आ. अ. 77.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 78-हाथरस (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./1/2017 दिनांक 4 जनवरी, 2017 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

यतः, 78-हाथरस (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 12 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 78-हाथरस (अ०जा०) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्रवादी प्रताप सेना से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री पिन्दू** अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत **श्री पिन्दू** को दिनांक 18 अक्तूबर, 2018 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओं नोटिस नं. 76/उ.प्र.-वि.स./78/भा.नि.आ./नोटिस/टेरी./उ.अनु.-III-उ.प्र./2017 जारी किया गया था:-

(1) निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में बिल वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

(2) बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार एवं उपर्युक्त कारण बताओं नोटिस के द्वारा **श्री पिन्दू** को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस **श्री पिन्दू** को दिनांक 9 नवम्बर, 2018 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस ने दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि **श्री पिन्दू** द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी **श्री पिन्दू** को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं. 76/उ.प्र.-वि.स./78/भा.नि.आ./पत्र/टेरी./उ.अनु.-III-उ.प्र./2017, दिनांक 2 जुलाई, 2020 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस के माध्यम से उन्हें दिनांक 13 जुलाई, 2020 को प्राप्त हुआ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, से प्राप्त दिनांक 07 अगस्त, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री पिन्दू** द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुए न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस/पत्र मिलने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री पिन्दू** विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति –

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि श्री पिन्टू, निवासी सीयलखेड़ा, सुदीप कॉलोनी, वार्ड-9, तहसील हाथरस, उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 78-हाथरस (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[सं. 76/उ.प्र.-वि.स./78/2017]

आदेश से,

अनुज जयपुरियार, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 18th August, 2020

O.N. 77 .—WHEREAS, the General Election for 78-Hathras (SC) Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/1/2017 dated 4th January, 2017; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 78-Hathras (SC) Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10th April, 2017; and

WHEREAS, as per the report dated 12th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Hathras District, Uttar Pradesh, **Sh. Pintu**, a contesting candidate of Rastravadi Pratap Sena from 78-Hathras (SC) Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge accounts of his election expenses, in the manner prescribed under the law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/78/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 18th October, 2018 was issued under sub rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Pintu**, for the following defects in accounts of his election expenses:-

- (i) Bill vouchers have not been presented in respect of items of election expenditure.
- (ii) Bank Statement has not been submitted; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and as required under sub rule (6) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Sh. Pintu** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Hathras within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Hathras, the said notice was served to **Sh. Pintu** on 9th November, 2018 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Hathras has submitted in his supplementary report, dated 18th December, 2019 that **Sh. Pintu**, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses duly signed, along with original vouchers etc. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, vide Commission's letter No. 76/UP-LA/78/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2017, dated 2nd July, 2020, which was served to him on 13th July, 2020 through the District Election Officer, Hathras; and

WHEREAS, as per the report, dated 7th August, 2020 submitted by the District Election Officer to the Commission, **Sh. Pintu** has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from him. Further, no representation from the candidate has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after delivery of the above mentioned notice/letter; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Pintu** has failed to lodge his accounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Pintu**, resident of Sealkheda, Sudip Colony, Ward-9, Tahsil Hathras, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 78-Hathras (SC) Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the State Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/UP-LA/78/2017]

By Order,

ANUJ JAIPURIAR, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2020

आ. अ. 78 .—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 79-सादाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./1/2017 दिनांक 4 जनवरी, 2017 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

यतः, 79-सादाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 12 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 79-सादाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री सुभाष चन्द्र** अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत **श्री सुभाष चन्द्र** को दिनांक 18 अक्तूबर, 2018 को निर्वाचन व्यय का

लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओं नोटिस नं. 76/उ.प्र.-वि.स./79/भा.नि.आ./नोटिस/टेरी./उ.अनु.-III-उ.प्र./2017 जारी किया गया था:-

(1) निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में बिल वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

(2) बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार एवं उपर्युक्त कारण बताओं नोटिस के द्वारा श्री सुभाष चन्द्र को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री सुभाष चन्द्र के पिता श्री बच्चू सिंह को दिनांक 27 नवम्बर, 2018 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस ने दिनांक 07 अगस्त, 2019 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री सुभाष चन्द्र द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री सुभाष चन्द्र को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं. 76/उ.प्र.-वि.स./79/भा.नि.आ./पत्र/टेरी./उ.अनु.-III-उ.प्र./2017, दिनांक 1 अक्टूबर, 2019 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस के माध्यम से उन्हें दिनांक 18 मार्च, 2020 को प्राप्त हुआ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, से प्राप्त दिनांक 07 अगस्त, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री सुभाष चन्द्र द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुए न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस/पत्र मिलने के उपरान्त भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सुभाष चन्द्र विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति –

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि श्री सुभाष चन्द्र, निवासी पटाखास, पोस्ट पटाखास, जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 79-सादाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश

की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[सं. 76/उ.प्र.-वि.स./79/2017]

आदेश से,

अनुज जयपुरियार, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 18th August, 2020

O.N. 78.—WHEREAS, the General Election for 79-Sadabad Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/1/2017 dated 4th January, 2017; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 79-Sadabad Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10th April, 2017; and

WHEREAS, as per the report dated 12th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Hathras District, Uttar Pradesh, **Sh. Subhash Chandra**, a contesting candidate from 79-Sadabad Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge accounts of his election expenses, in the manner prescribed under the law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/79/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 18th October, 2018 was issued under sub rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Subhash Chandra**, for the following defects in accounts of his election expenses:-

- (i) Bill vouchers have not been presented in respect of items of election expenditure.
- (ii) Bank Statement has not been submitted; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and as required under sub rule (6) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Sh. Subhash Chandra** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Hathras within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Hathras, the said notice was served to Sh. Bachchu Singh F/o Sh. Subhash Chandra on 27th November, 2018 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Hathras has submitted in his supplementary report, dated 7th August, 2019 that **Sh. Subhash Chandra**, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses duly signed, along with original vouchers etc. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, vide Commission's letter No. 76/UP-LA/79/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2017, dated 1st October, 2019, which was served to him on 18th March, 2020 through the District Election Officer, Hathras; and

WHEREAS, as per the report, dated 7th August, 2020 submitted by the District Election Officer to the Commission, **Sh. Subhash Chandra** has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from him. Further, no representation from the candidate has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after delivery of the above mentioned notice/letter; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Subhash Chandra** has failed to lodge his accounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Subhash Chandra**, resident of Patakhas, Post Patakhas, District Hathras, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 79-Sadabad Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the State Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/UP-LA/79/2017]

By Order,

ANUJ JAIPURIAR, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2020

आ. अ. 79.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 79-सादाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./1/2017 दिनांक 4 जनवरी, 2017 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

यतः, 79-सादाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 12 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 79-सादाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री रामेश्वर** अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत **श्री रामेश्वर** को दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओं नोटिस नं.76/उ.प्र.-वि.स./79/भा.नि.आ./नोटिस/टेरी./उ.अनु.-III-उ.प्र./2017 जारी किया गया था:-

- (1) निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में बिल वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
- (2) बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार एवं उपर्युक्त कारण बताओं नोटिस के द्वारा **श्री रामेश्वर** को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस **श्री रामेश्वर** को दिनांक 3 नवम्बर, 2018 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस ने दिनांक 7 अगस्त, 2019 तथा 18 मार्च, 2020 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि **श्री रामेश्वर** द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी **श्री रामेश्वर** को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं. 76/उ.प्र.-वि.स./79/भा.नि.आ./पत्र/टेरी./उ.अनु.-III-उ.प्र./2017, दिनांक 2 जुलाई, 2020 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस के माध्यम से उन्हें दिनांक 4 जुलाई, 2020 को प्राप्त हुआ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, से प्राप्त दिनांक 07 अगस्त, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री रामेश्वर** द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुए न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस/पत्र मिलने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री रामेश्वर** विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति –

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि **श्री रामेश्वर**, निवासी म.नं. 28 ग्राम मई, तहसील सादाबाद, जिला हाथरस, उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 79-सादाबाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[सं. 76/उ.प्र.-वि.स./79/2017]

आदेश से,

अनुज जयपुरियार, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 18th August, 2020

O.N. 79.—WHEREAS, the General Election for 79-Sadabad Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/1/2017 dated 4th January, 2017; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 79-Sadabad Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10th April, 2017; and

WHEREAS, as per the report dated 12th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Hathras District, Uttar Pradesh, **Sh. Rameshwar**, a contesting candidate from 79-Sadabad Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge accounts of his election expenses, in the manner prescribed under the law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/79/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 18th October, 2018 was issued under sub rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Rameshwar**, for the following defects in accounts of his election expenses:-

- (i) Bill vouchers have not been presented in respect of items of election expenditure.
- (ii) Bank Statement has not been submitted; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and as required under sub rule (6) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Sh. Rameshwar** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Hathras within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Hathras, the said notice was served to **Sh. Rameshwar** on 3rd November, 2018 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Hathras has submitted in his supplementary report, dated 7th August, 2019 and 18th March, 2020 that **Sh. Rameshwar**, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses duly signed, along with original vouchers etc. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, vide Commission's letter No. 76/UP-LA/79/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2017, dated 2nd July, 2020, which was served to him on 4th July, 2020 through the District Election Officer, Hathras; and

WHEREAS, as per the report, dated 7th August, 2020 submitted by the District Election Officer to the Commission, **Sh. Rameshwar** has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from him. Further, no representation from the candidate has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after delivery of the above mentioned notice/letter; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Rameshwar** has failed to lodge his accounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Rameshwar**, resident of H.No. 28 Village Mai, Tehsil Sadabad, District Hathras, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 79-Sadabad Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the State Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a

member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/UP-LA/79/2017]

By Order,

ANUJ JAIPURIAR, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2020

आ. अ. 80.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में 80-सिकन्दरा राऊ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से साधारण निर्वाचन, 2017 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./1/2017 दिनांक 4 जनवरी, 2017 के जरिए की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति संबन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

यतः, 80-सिकन्दरा राऊ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचन के परिणाम दिनांक 11 मार्च, 2017 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 अप्रैल, 2017 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस जिला, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत दिनांक 12 अप्रैल, 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के 80-सिकन्दरा राऊ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्रवादी प्रताप सेना से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री चन्द्रेश कुमार अपने निर्वाचन व्यय का सही लेखा विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत श्री चन्द्रेश कुमार को दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 को निर्वाचन व्यय का लेखा निम्नलिखित त्रुटियों के साथ दाखिल करने हेतु कारण बताओं नोटिस नं. 76/उ.प्र.-वि.स./80/ भा.नि.आ./नोटिस/टिरी./उ.अनु.-III-उ.प्र./2017 जारी किया गया था:-

- (1) निर्वाचन व्यय की मदों के सन्दर्भ में बिल वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।
- (2) बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार एवं उपर्युक्त कारण बताओं नोटिस के द्वारा श्री चन्द्रेश कुमार को निर्देश दिया गया था की वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखा दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और साथ ही उक्त त्रुटियों को दूर करते हुए अपना निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस के समक्ष प्रस्तुत करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस जिला, द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की गई पावती रसीद के अनुसार, उक्त नोटिस श्री चन्द्रेश कुमार के पुत्र श्री निशान्त को दिनांक 18 नवम्बर, 2018 को उनके द्वारा नामांकन पत्र में दर्शाये गये पते पर तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस ने दिनांक 7 अगस्त, 2019 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया है कि श्री चन्द्रेश कुमार द्वारा अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और मूल वाउचर सहित हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री चन्द्रेश कुमार को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए पत्र सं. 76/उ.प्र.-वि.स./80/भा.नि.आ./पत्र/टिरी./उ.अनु.-III-उ.प्र./2017, दिनांक 1 अक्टूबर, 2019 जारी किया गया, जो जिला निर्वाचन अधिकारी, हाथरस के माध्यम से उन्हें दिनांक 7 फरवरी, 2020 को प्राप्त हुआ; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, से प्राप्त दिनांक 07 अगस्त, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार श्री चन्द्रेश कुमार द्वारा उक्त कमियों को सुधारते हुए न तो कोई लेखा जमा किया गया है न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस/पत्र मिलने के उपरांत भी अभ्यर्थी द्वारा उक्त विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है; और

यतः, तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री चन्द्रेश कुमार विहित प्रपत्र में अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति –

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में विफल रहा है; तथा

(ख) उस विफलता के लिए कोई अच्छा कारण या औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि श्री चन्द्रेश कुमार, निवासी 359, सैक्टर-11, बसुन्धरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2017 में 80-सिकन्दरा राऊ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी थे, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[सं. 76/उ.प्र.-वि.स./80/2017]

आदेश से,

अनुज जयपुरियार, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 18th August, 2020

O.N. 80.—WHEREAS, the General Election for 80-Sikandra Rao Assembly Constituency of Uttar Pradesh, 2017 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/1/2017 dated 4th January, 2017; and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his accounts of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

WHEREAS, the result of the election for 80-Sikandra Rao Assembly Constituency was declared by the Returning Officer on 11th March, 2017 and hence the last date for lodging the accounts of election expenses was 10th April, 2017; and

WHEREAS, as per the report dated 12th April, 2017 submitted by the District Election Officer, Hathras District, Uttar Pradesh, **Sh. Chandresh Kumar**, a contesting candidate of Rastravadi Pratap Sena from 80-Sikandra Rao Assembly Constituency of Uttar Pradesh has failed to lodge accounts of his election expenses, in the manner prescribed under the law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/UP-LA/80/ECI/Notice/TERR/NS-III-UP/2017, dated 18th October, 2018 was issued under sub rule (5) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Chandresh Kumar**, for the following defects in accounts of his election expenses:-

- (i) Bill vouchers have not been presented in respect of items of election expenditure.
- (ii) Bank Statement has not been submitted; and

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and as required under sub rule (6) of rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, **Sh. Chandresh Kumar** was directed to submit his representation in writing to the Commission explaining the reason for the above said shortcomings in his accounts of election expenses and also to lodge the accounts, after rectifying the above mentioned defects, with the District Election Officer, Hathras within 20 days from the date of receipt of the notice; and

WHEREAS, as per the acknowledgement receipt made available to the Election Commission by the District Election Officer, Hathras, the said notice was served to Sh. Nishant s/o Sh. Chandresh Kumar on 18th November, 2018 at the address provided by the candidate in the nomination papers; and

WHEREAS, the District Election Officer, Hathras has submitted in his supplementary report, dated 7th August, 2019 that **Sh. Chandresh Kumar**, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses duly signed, along with original vouchers etc. till that date; and

WHEREAS, the candidate was given last opportunity to rectify the defects found in his accounts, *vide* Commission's letter No. 76/UP-LA/80/ECI/LET/TERR/NS-III-UP/2017, dated 1st October, 2019, which was served to him on 7th February, 2020 through the District Election Officer, Hathras; and

WHEREAS, as per the report, dated 7th August, 2020 submitted by the District Election Officer to the Commission, **Sh. Chandresh Kumar** has neither rectified the above mentioned defects nor any representation has been received from him. Further, no representation from the candidate has been received in the Secretariat of the Election Commission of India, after delivery of the above mentioned notice/letter; and

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Chandresh Kumar** has failed to lodge his accounts of election expenses in the manner prescribed under law and has no good reason or justification for the failure to do so; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under this Act; and
- (b) Has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Chandresh Kumar**, resident of 359, Sector 11, Basundhara, Gaziabad, Uttar Pradesh and a contesting candidate from 80-Sikandra Rao Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Elections to the State Legislative Assembly, 2017, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/UP-LA/80/2017]

By Order,

ANUJ JAIPURIAR, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2020

आ. अ. 81.—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 मई, 2019 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 05-बिलासपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 22 जून, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 26 जून, 2019 के पत्र सं. 21/चार/लो.स.चु./EEM/2019/6169 के जरिए अग्रेषित दिनांक 24 जून, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री होरीलाल अनंत, जो छत्तीसगढ़ के 05-बिलासपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री होरीलाल अनंत को कारण बताओ नोटिस दिनांक 14 अगस्त, 2019 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 14 अगस्त, 2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री होरीलाल अनंत को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री होरीलाल अनंत द्वारा 4 सितम्बर, 2019 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा अपने दिनांक 25 सितम्बर, 2019 के पत्र संख्या नि.प./लो.स.नि./व्यय लेखा/2019/4137 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बिलासपुर द्वारा अपने दिनांक 12 मार्च, 2019 के पत्र संख्या नि.प./लो.स.नि.-19/व्यय लेखा/2020/4640 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री होरीलाल अनंत ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री होरीलाल अनंत निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के **05-बिलासपुर** लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी **श्री होरीलाल अनंत**, निवासी ग्राम चकला, पोस्ट ऑफिस दाउकापा, लोरमी, छत्तीसगढ़, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[सं. छ.ग.-वि.स./पूर्व अनु.-1/01/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना० बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 18th August, 2020

O.N. 81.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Chhattisgarh, 2019 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019. As per the schedule, Date of Counting was 23rd May, 2019.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including **05-Bilaspur** Parliamentary Constituency on 23rd May, 2019. As such the last date for lodging of account of election expenses was 22nd June, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 24th June, 2019 submitted by the District Election Officer, **Bilaspur** District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/लो.स.चु./EEM/2019/6169 dated 26th June, 2019, **Shri Horilal Anant, Independent** contesting candidate from **05-Bilaspur** Parliamentary Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, **Bilaspur** District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause notice dated 14th August, 2019 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Shri Horilal Anant** for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 14th August, 2019, **Shri Horilal Anant** was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Shri Horilal Anant** on 4th September, 2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, **Bilaspur** vide his letter No. नि.प./लो.स.नि./व्यय लेखा/2019/4137 dated 25th September, 2019.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, **Bilaspur** vide his letter No. नि.प./लो.स.नि.-19/व्यय लेखा/2020/4640 dated 12th March, 2020 has stated that **Shri Horilal Anant**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Shri Horilal Anant** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Horilal Anant**, resident of Village Chakla, Post Office Daukapa, Lormi, Chhattisgarh and the contesting **Independent** candidate for General Election to Lok Sabha of Chhattisgarh, 2019 from **05-Bilaspur** Parliamentary Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. CG-LA/ES-I/01/2018]

By Order,

NARENDRA NATH BUTOLIA, Senior Principal Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2020

आ. अ. 82.— यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2018 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./66/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 11 दिसम्बर, 2018 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 01-भरतपुर-सोनहत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 11 दिसम्बर, 2018 को घोषित किए गए थे। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 7 जनवरी, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरिया जिला, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा अपने दिनांक 29 जनवरी, 2019 के पत्र सं. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 के जरिए अग्रेषित दिनांक 11 जनवरी, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री कृष्णा कांत नागवंशी, जो छत्तीसगढ़ के 01-भरतपुर-सोनहत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले छत्तीसगढ़ विकास गंगा राष्ट्रीय पार्टी के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरिया जिला, छत्तीसगढ़ और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के

अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री कृष्णा कांत नागवंशी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 8 अगस्त, 2019 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 8 अगस्त, 2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री कृष्णा कांत नागवंशी को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेख न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री कृष्णा कांत नागवंशी द्वारा 23 अगस्त, 2019 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरिया द्वारा अपने दिनांक 28 अगस्त, 2019 के पत्र संख्या 991/सामान्य निर्वाचन/नोटिस/2019 के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, कोरिया द्वारा अपने दिनांक 12 मार्च, 2019 के पत्र संख्या 1173/सामान्य निर्वाचन/नोटिस/2020 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री कृष्णा कांत नागवंशी ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री कृष्णा कांत नागवंशी निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

- i. निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- ii. उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 01-भरतपुर सोनहत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले छत्तीसगढ़ विकास गंगा राष्ट्रीय पार्टी के अभ्यर्थी श्री कृष्णा कांत नागवंशी, निवासी वीसीम कॉलरी, खोंगापानी, तहसील - मनेन्द्रगढ़, जिला - कोरिया, छत्तीसगढ़, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

[सं. छ.ग.-लो. स./पूर्व अनु०-1/01/2018]

आदेश से,

नरेन्द्र ना० बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 18th August, 2020

O.N. 82.—WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/66/2018 dated 6th October, 2018. As per the schedule, Date of Counting was 11th December, 2018.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 01-Bharatpur Sonhat Assembly Constituency on 11th December, 2018. As such the last date for lodging of account of election expenses was 7th January, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 11th January, 2019 submitted by the District Election Officer, Korea District, Chhattisgarh and forwarded by Chief Electoral Officer, Chhattisgarh vide letter No. 21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2019/85 dated 29th January, 2019, Shri Krishna Kant Nagvanshi, Chhattisgarh Vikas Ganga Rashtriya Party contesting candidate from 01-Bharatpur Sonhat Assembly Constituency of Chhattisgarh, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Korea District, Chhattisgarh and the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh, a Show Cause notice dated 8th August, 2019 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to Shri Krishna Kant Nagvanshi for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated 8th August, 2019, Shri Krishna Kant Nagvanshi was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Shri Krishna Kant Nagvanshi on 23rd August, 2019. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Korea vide his letter No. 991/सामान्य निर्वाचन/नोटिस/2019 dated 28th August, 2019.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Korea vide his letter No. 1173/सामान्य निर्वाचन/नोटिस/2020 dated 12th March, 2020 has stated that Shri Krishna Kant Nagvanshi, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that Shri Krishna Kant Nagvanshi has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that :-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Shri Krishna Kant Nagvanshi, resident of B Seem Colony, Khongapani, Tahsil – Manedragarh, District Korea, Chhattisgarh and the contesting Chhattisgarh Vikas Ganga Rashtriya Party candidate for General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2018 from 01-Bharatpur Sonhat Assembly Constituency of the state of Chhattisgarh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No.CG HP-LA/ES-I/05/2019]

By Order,

NARENDRA NATH BUTOLIA, Senior Principal Secy.